




अज अदालत उपखण्ड अधिकारी,
चैनाराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवारी तोलियारर तहरील वीकानेर वनाम स्टैट

मुकाम श्रीडूंगरगढ
श्रीडूंगरगढ जिला

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 108/2021

U/S 136LRA

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए |
|---------------|--|---|
| 17.08.2021 | <p>आज यह प्रार्थना पत्र चैनाराम जरिये श्री अधिवक्ता प्रवीण पालीवाल मार्फत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 08.09.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ </p> | |
| 8.9.2021 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वकील फरीदी उपस्थित। तम हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते तम दिनांक 10.11.2021 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">  </p> | |
| 10.11.2021 | <p>आज यह पत्रावली अधिवक्ता बिजगा में पेश की गई। अधिवक्ता उपस्थित। स्टैट की ओर से परोक्ष ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली बिजगा में पेश हुआ। अधिवक्ता के द्वारा पत्रावली में स्टैट को अधिवक्ता पर वाकालत करने में आपत्ति नहीं होने व अधिवक्ता पत्रावली पर वाकालत योग्य होने के कारण वाकालत किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>रिवट नं. 142/3 तारीख 03.05.2021 को पेश की गई पत्रावली तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिजिस्ट्रार के खान पर चैनाराम नाम खुदू बिजगा जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तहसील उमाट पालना खुनिरिफ्त करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 10.11.2021 को अधिवक्ता बिजगा में अधिवक्ता पत्रावली वास्ते अधिवक्ता के द्वारा पत्रावली में अधिवक्ता को अधिवक्ता पत्रावली पर वाकालत योग्य होने के कारण वाकालत किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (वीकानेर) </p> | |

